कार्यालय– जिला मत्स्य पदाधिकारी, जामताड़ा
अति अल्पकालीन निविदा वर्ष 2019–20

एतद् द्वारा Mash Feed (Formulated Spawn Feed) के निर्माता अथवा अधिकृत विक्रेता को सूचित किया जाता है कि वित्तिय वर्ष 2019–20 में जामताड़ा जिला के निबंधित मत्स्य बीज उत्पादकों को Mash Feed (Formulated Spawn Feed) देने के लिए उसके क्रय करने हेतु मुहरबंद निविदा दिनांक 25.06.2019 को अपराह्न 1.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में स्वीकार किये जायेगें।

निविदा की शर्ते

1. निविदादाता को निविदा के साथ Mash Feed (Formulated Spawn Feed) की भौतिक तथा रसायनिक संरचना, यथा साइज, प्रोटीन की मात्रा (% में) फाईबर की मात्रा (% में) विटामिन का प्रकार, मिनरल मिक्सचर का प्रकार, नमी की मात्रा (% में) आहार संपरिर्वतन् दर (FCR), शेल्फ –लाईफ आदि का विवरण देना होगा। उसमें प्रोटीन न्यूनतम–30 प्रतिशत तथा वसा–4 प्रतिशत होनी चाहिए। आहार संपरिवर्तन दर (FCR) Low एवं शेल्फ–लाईफ अधिक होना चाहिए।
2. निविदादाता को पैन नंबर की अभिप्रमाणित छाया–प्रति एवं वाणिज्यकर विभाग का पंजीयन (GSTin)की अभिप्रमाणित छाया–प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
3. निविदा के साथ समाग्री का सील बन्द नमूना (कम से कम 50 ग्राम का पैकट पॉलिथिन बैग में) प्रस्तुत करना होगा। साथ ही समाग्री का मानक संस्थान द्वारा निर्गत केमिकल एनालिसिस प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदा दो लिफाफे में प्रस्तुत किया जायेगा। एक लिफाफे में उपर्युक्त वर्णित आवश्यक दस्तावेज रखे जाएगें तथा इस लिफाफे पर "तकनीकी प्रस्ताव" अंकित किया जायेगा। इस लिफाफे में तकनिकी विवरण के अतिरिक्त प्रतिभूति राशि के रूप में मो0 20,000/– रूपया का डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक जो किसी राष्ट्रीयकृत द्वारा जारी किया गया हो एवं अद्योहस्ताक्षरी के पदनाम से जामताड़ामें भुगतेय हो, रखा जाएगा। दूसरे लिफाफे में निविदा पत्र (दर प्रस्ताव, डयूटी शुल्क वैट, परिवहन व्यय सहित) रखा जाएगा। इस लिफाफे पर "वित्तीय प्रस्ताव" अंकित किया जाएगा। इस प्रकार बनाये गये दो लिफाफे को एक लिफाफे में डालकर "SPAWN FEED" हेतु निविदा लिखकर तथा मुहरबंद कर प्रस्तुत किया जाना है। इकाईयों द्वारा प्रस्तुत तकनीकी प्रस्ताव वाले लिफाफे को पहले खोला जाएगा। यदि निविदादाता तकनीकी प्रस्ताव में सफल होता है तभी उसके द्वारा प्रस्तुत वित्तिय प्रस्ताव को खोला जाएगा। वित्तिय प्रस्ताव सुस्पष्ट अंक एवं शब्दो में अंकित होना चाहिए। जिस जिस लिफाफे में निविदा पत्र रखें उस पर वस्तु का नाम लिखा होना चाहिए एवं संबंधित उपक्रम/आपूर्तिकर्ता की मुहर होनी चाहिए।
5. सफल निविदादाता को फीड की आपूर्ति गुणवता आधारित मानको के अनुरूप अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय तक निर्धारित समय सीमा के अन्दर पहुँचा कर करनी होगी, गुणवता व मापदंडों के अनुसार आपूर्ति नही किये जाने की स्थिति में संबंधित को काली सूची में डालते हुए प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
6. यदि प्रथम सफल निविदादाता किसी कारणवश समाग्री आपूर्ति करने में असमर्थ हो जाता है, तो उस स्थिति में प्रथम सफल निविदादाता की प्रतिभूति राशि जब्त की जायेगी तथा उसत दर पर ही द्वितीय सफल निविदादाता को मौका दिया जायेगा। इस संबंध में किसी न्यायलय में किसी प्रकार के वाद का दावा नहीं किया जा सकेगा।
7. विभाग हित में निविदा की शर्तों में बिना कारण बताए, किसी भी समय बगैर पूर्व सूचना के परिर्वतन करने निविदा की शर्तों में बिना कारण बताए अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार परिवर्तन करने निविदा निरस्त करने, स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
8. पूर्व में सरकारी क्षेत्र में स्पॉन आपूर्ति का अनुभव एवं ब्योरा निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नही होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. निविदा खोलने की तिथि दिनांक 25.06.2019 के अपराह्न 3.30 बजे स्थान समाहरणालय जामताड़ा के सभा कक्ष में खोली जायेगी।

12/06/19

जिला मत्स्य पदाधिकारी,
जामताड़ा।

12.6.19

कार्यालय– जिला मत्स्य पदाधिकारी, जामताड़ा

फ्राई कैचिंग नेट हेतु अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण

एतद् द्वारा जाल आपूर्तिकर्त्ताओं को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2019–20 में राज्य योजना के अन्तर्गत निबंधित मत्स्य बीज उत्पादकों को फ्राई कैचिंग नेट की आपूर्ति किया जाना है। इस प्रयोजनार्थ जाल आपूर्तिकत्ताओं से निम्नांकित कंडिकाओ के अधीन अल्पकालीन दर आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक जाल आपूर्तिकताओं से जाल आपूर्ति हेतु निविदा दिनांक 25.06.2019 के अपराहण 1.00 बजे तक अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में स्वीकार किया जायेगा।

आवश्यक शर्त्तें

1. फाई कैचिंग नेट का दर जाल की लम्बाई एवं चौडाई के साथ (3 मीटर चौडाई X 1 मीटर लम्बाई) प्रति वर्ग मीटर के दर से प्रस्तुत किया जाएगा।
2. फाई कैचिंग नेट प्रति मीटर (3 मीटर X 1 मीटर) का मूल्य 66.67 रू0 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. फाई कैचिंग नेट मे उपर एवं नीचे नायलॉन का रस्सी दस फीट की दुरी पर फ्लोट लगाना अनिवार्य होगा।
4. फाई कैचिंग नेट आपूर्ति हेतु जाल का साईज एंव संख्या स्वीकृत दर के अनुरूप सफल निविदादाता को कार्यादेश के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
5. आमंत्रित दर के साथ अद्योहस्ताक्षरी पदनाम से देय मो0 20,000/– रू0 मात्र का B/D संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता को पैन नंबर की अभिप्रमाणित छाया–प्रति एवं वाणिज्यकर विभाग का पंजीयन (GSTin)की अभिप्रमाणित छाया–प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
7. आपूर्ति हेतु तैयार एक मीटर लम्बाई का फाई कैंचिंग नेट का नमूना दर आमंत्रण के साथ अलग से आपूर्तिकर्त्ता के नाम वँ पता का टैग लगाकर संलग्न करना अनिवार्य होगा। फाई कैंचिंग नेट का चौडाई आपूर्तिकर्त्ता को अपने स्वेच्छानुरूप प्रस्तुत करना होगा।
8. इस दर आमंत्रण को स्वीकृत अथवा रदद करने का अधिकार मत्स्य विभागीय निविदा समिति के अधीन होगा।
9. प्रथम सफल निविदाता द्वारा किसी कारणवश आयोग्य पाए जाने की स्थिति में दूसरे सफल निविदाता को समाग्री आपूर्ति का अधिकार आवंटित किया जा सकता है।
10. पूर्व में सरकारी क्षेत्र में स्पॉन आपूर्ति का अनुभव एवं ब्योरा निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. निविदादाता को अनिवार्य रूप से तकनीकी और वित्तीय निविदा दो अलग–अलग सील बंद लिफाफे में तकनीकी और वित्तीय निविदा उनके उपर स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए निविदा के बक्से में डालनी होगी। मात्र एक निविदा या दोनो (वित्तीय एवं तकनीकी) निविदा एक ही लिफाफे में होने पर निविदा अस्तीकृत कर दी जायेगी।
12. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नही होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
13. निविदा खोलने की तिथि दिनांक 25.06.2019 अपराह्न 4.00 बजे समाहरणालय जामताड़ा के सभा कक्ष में खोली जायेगी।

12/06/19

जिला मत्स्य पदाधिकारी,
जामताड़ा
18/6/19

कार्यालय– जिला मत्स्य पदाधिकारी, जामताड़ा
अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण वर्ष 2019–20

एतद् द्वारा मत्स्य स्पॉन उत्पादकों/आपूर्तिकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि जलाशय एवं नदी के छाड़न एव निबंधित मत्स्य बीज उत्पादकों को भारतीय मेजर कॉर्प (रोहु, कतला, मृगल) का मत्स्य अण्ड बीज (स्पॉन) की आपूर्ति वितीय वर्ष 2019–20 अन्तर्गत की जानी है। इच्छुक मत्स्य स्पॉन उत्पादकों/आपूर्तिकर्ताओं से स्पॉन आपूर्ति हेतु निविदा दिनांक 25.06.2019 के अपराहण 1.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में स्वीकार किया जायेगा।

निविदा की शर्तें :–

1. स्पॉन आपूर्तिकर्ता के पास मत्स्य हैचरी होनी चाहिए। स्थानीय मत्स्य हैचरी (विभाग द्वारा अनुदानित दर पर निर्मित) संचालक को समान मूल्य दर पर प्राथमिकता दी जायगी।
2. हैचरी का सरकारी निबंधन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।
3. स्पॉन आपूर्तिकर्ता को अपने मत्स्य हैचरी का विवरण एवं उपलब्ध ब्रुडर का आँकड़ा प्रजातिवार व अनुपात में देना अनिवार्य होगा।
4. स्पॉन आपूर्तिकर्ता को मत्स्य हैचरी का प्रति चरण स्पॉन उत्पादन क्षमता से अवगत करना अनिवार्य होगा।
5. आपूर्ति किए जाने वाले स्पॉन में कम से कम 40% कतला, 30% रेहु, 30% मृगल मत्स्य स्पॉन होना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता पूर्व में सरकारी क्षेत्र में स्पॉन आपूर्ति का न्यूनतम तीन वर्षो का अनुभव एवं ब्यौरा, पहचान पत्र, पैन नं0, एवं जी0एस0टी0 नं0 की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाता को विगत तीन वर्षो का आयकर रिटंन (2018–19, 2017–18 एवं 2016–17) संलग्न करना अनिवार्य है।
8. निविदादाता द्वारा निविदा के साथ प्रतिभूति राशि के रूप में रू0 20000/– (बीस हजार) रू0 मात्र का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से जामताड़ा में भुगतेय होगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. स्पॉन की आपूर्ति पॉलिथिन बैग पैकिंग में जिला मुख्यालय या अधोहस्ताक्षरी द्वारा विभिन्न प्रखण्डो में निर्धारित कलस्टर स्थल तक जीवित एवं स्वस्थ अवस्था में पहुँचा कर करना होगा।
10. प्रति पॉलिथिन बैग में आपूर्ति किए जाने वाले स्पॉन की संख्या हैचरी से निर्धारित स्थल तक की दूरी के अनुसार होगी, जिससे स्पॉन की उत्तरजिविता बनी रहे। प्रति पॉलिथिन बैग में अधिकतम 50000 (पचास हजार) स्पॉन की पैकिंग स्वीकार की जायेगी। प्रत्येक क्षेत्र स्पॉन आपूर्ति हेतु सफल निविदादाता को कार्यादेश के साथ कलस्टर के अनुरूप प्रति पॉलिथिन बैग में आपूर्ति किए जाने वाले स्पॉन की संख्या का निर्धारण संलग्न कर सूची उपलब्ध करायी जायगी।
11. स्पॉन की आपूर्ति हैचिंग के लगभग 60 घंटा बाद गुणवत्ता आधारित मानको के अनुरूप तय समय सीमा के अन्दर जीवित एवं स्वस्थ अवस्था में पहुँचा कर देना होगा, गुणवत्ता के मापदंडो के अनुसार आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित को काली सूची में डालते हुए प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी।
12. यदि प्रथम सफल निविदादाता किसी कारणवश स्पॉन आपूर्ति करने में असमर्थ हो जाता है, तो उस स्थिति में प्रथम सफल निविदादाता की प्रतिभूति राशि जब्त की जायेगी तथा उक्त दर पर ही द्वितीय सफल निविदादाता को मौका दिया जाएगा।
13. मत्स्य स्पॉन आपूर्ति की दर (परिवहन, पैकेजिंग एवं जी0एस0टी0 शुल्क सहित) अधिकतम 550/–(पांच सौ पचास) रूपये प्रति लाख होगा। निविदादाता को स्पॉन का दर (परिवहन, पैकेजिंग एवं जी0एस0टी0 शुल्क सहित) प्रति लाख की दर से अंकित करना होगा।
14. निविदादाता को अनिवार्य रूप से तकनीकी और वित्तीय निविदा दो अलग–अलग सील बंद लिफाफो में तकनीकी और वित्तीय निविदा उनके उपर स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए निविदा के बक्से में डालनी होगी। मात्र एक निविदा या दोनो (वित्तीय एवं तकनीकी) निविदा एक ही लिफाफे में होने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।
15. निविदादाता द्वारा उपलब्ध करायी गई विवरणी असत्य एवं भ्रामक पाये जाने की स्थिति में निविदादाता को काली सूची में रखते हुए दिये गये निविदा को रद्द कर दी जायेगी। ऐसी स्थिति में दूसरे न्यूनतम दर पर आपूर्ति करने वाले निविदादाता को स्पॉन आपूर्ति आदेश निर्गत की जायेगी। इस विषयक जांच के लिए अधोहस्ताक्षरी का अधिकार स्वतंत्र एवं सुरक्षित होगा।
16. तकनीकी रूप से योग्य पाये जाने वाले निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोला जायेगी एवं उस पर विचार किया जायेगा अन्यथा उनकी निविदा अयोग्य करार कर दिया जायेगा।
17. निविदा खोलने का स्थान, तिथि एवं समय: समाहरणालय जामताड़ा के सभा कक्ष में दिनांक 25.06.2019 के अपराहन 3.00 बजे। निविदादाता चाहे तो स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति निविदा खोलने के समय उपस्थित रह सकते है।
18. विभाग हित में निविदा की शर्ते में बिना कारण बताए, किसी भी समय बगैर पूर्व सूचना के परिवर्तन करने, निविदा निरस्त करने, स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
19. किसी तरह का विवाद का निपटारा, जामताड़ा, जिला न्यायालय के अंतर्गत ही मान्य होगा।
20. बिना कारण बताए अधोहस्ताक्षरी के पास निविदा रदद करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

12/06/19

जिला मत्स्य पदाधिकारी,
जामताड़ा

18.6.19